

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11192/4915

दिनांक :- 08/01/2020

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्री कुमार रवि गुर्जर [लिंक न. 11192] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, एवं लेखा विभाग, झालावाड़ - [1114] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अव (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस
दिनांक 03/12/2018 से 20/12/2018 तक 18 दिवस

कुल 22 दिवस

उक्त कुल 22 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री कुमार रवि गुर्जर सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 29/09/2018, 30/09/2018, 01/12/2018, 02/12/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है

(मुकुन्द मोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11192/4915

दिनांक :- 08/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़
2. कोषाधिकारी झालावाड़
3. श्री/श्रीमती/सुश्री कुमार रवि गुर्जर [11192] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, झालावाड़
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)